

सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 (Public Liability Insurance Act, 1991 – Environment And Economy)

- पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (मंडल) को जन दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के उचित व बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिये।
- सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के अंतर्गत संभावित दुर्घटना की दृष्टि से खतरनाक इकाइयों जैसे रसायन, ज्वलनशील पदार्थ इत्यादि का बीमा करवाना आवश्यक किया गया है। यह बीमा किसी दुर्घटना की स्थिति में उत्पन्न आपदा से निपटने के लिए आवश्यक मौद्रिक प्रबंधन की व्यवस्था का कार्य करेगा तथा इसके द्वारा क्षतिपूर्ति राशि को आपदा से प्रभावित होने वाले इन लोगों को दिया जाएगा, जो संबंधित कंपनी (संघ) के कर्मचारी नहीं हैं।
- इस अधिनियम के माध्यम से एक 'पर्यावरण राहत कोष' का निर्माण किया गया है जिसमें उपरोक्त वर्णित सभी औद्योगिक इकाइयों को अभिदान देना पड़ता है।
- केंद्रीय मंत्रालय ने समस्त राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (मंडल) तथा केंद्रशासित प्रदेशों की प्रदूषण समितियों को निर्देशित किया है कि किसी भी कंपनी (संघ) को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने या उसके नवीनीकरण करने से पूर्व उसे जन दायित्व बीमा प्रावधान की कसौटी पर परख लेना चाहिए।